(1)

<u>न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय ग्वालियर रा.मं.कैम्प रीवा संभाग रीवा</u>

R-1372-II/13

जीतराम मिश्रा तनय श्री लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा उम्र 48 वर्ष,पेशा कृषि निवासी गौरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.........................आवेदक/निगराकार

बनाम

शासन म.प्र. द्वारा पटवारी हल्का बगहा ,तहसील रघुराजजगर जिला सतना म.प्र...अनावेदक/गैर निगराकार

निगरानी खिलाफ आदेश तहसीलदार वृत्त सतना प्रथम तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. जरिए रा.प्र. क्र. 217ए12/2011-12 आदेश दिनाक 12.09.12 अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं.

मान्यवर,

निगराकार निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत कर बिनयी हैः-

1. यह कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वृत्त सतना प्रथम तहसील रघुराज़नगर जिला सतना म.प्र. जिसे आगे चल कर अधिनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया जावेगा खिलाफ कानून एवं वाकियात के है।

2. यह कि निगराकार ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजा बगहा की आराजी नं.372/1ग,373/1घ,99/1क/4 के सीमाकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका सीमाकन राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना प्रथम द्वारा दिनाक 08.04.2012 को किया गया है। जहां पर निगराकार ने उक्त भूमियो को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है उस जगह का सीमाकन नही किया गया है निगराकार ने मौके पर भी आपत्ति किया था कि उसकी

//2//

जीतराम मिश्रा

(9)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-1372-II/13 जिला सतना

जीतराम मिश्रा विरूद्ध म0प्र0 शासन

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री रामसेवक सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार~~ तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 217/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 12-09-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-03-2019 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	